International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume IX, Issue II, March – April 2022 **Available online at: www.ijaur.com**
Impact Factor- 5.908

राजद्रोह और भारत

डॉ पुष्पा ठाकुर[1] & मुकेश मिश्र[2]
1. शोध निर्देशक प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष विधि विभाग
शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज जिला रीवा (म. प्र),
डीन– अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म. प्र.)
2. शोधार्थी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म. प्र)

सारांश *–:* भारतीय दंड संहिता में धारा 124 क राजद्रोह को अपराध बताती है राजद्रोह विधि के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति बोले गए,लिखे गए शब्द को तथा दृश्य रुपण जो राज्य के प्रति घृणा व आवामान पैदा करें उसे दण्डित करने का प्रावधान करती है यह विधि हमेशा से विवादों में रही है। राज्य की गलत नीतियों के विरूद्ध बोलने वाले लोगों को भी इस कानून के द्वारा हमेशा दण्डित किया गया है,इसी विधि की समीक्षा में यह शोध पत्र प्रस्तुत है।

मुख्यशब्द–: राजद्रोह, अपराध और भारतीय दंड संहिता।

प्रस्तावना–:

महात्मा ,गांधी का कथन सर्वविदित हैः "स्नेह को कानून द्वारा निर्मित या विनियमित नहीं किया जा सकता है"।

व्यक्ति को किसी व्यक्ति या व्यवस्था से कोई लगाव नहीं है, तो उसे अपनी अप्रसन्नता को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जब तक कि वह हिंसा के बारे में विचार या प्रचार नहीं करता है। राजद्रोह की विधि हमेशा भारत में संवैधानिक विधि के सबसे विवादास्पद विषयों में से एक रहा है, जिसमें हमारी कानून की किताबों से प्रावधान को पूर्ण रूप से समाप्त करने के आह्वान से लेकर देशद्रोह के खंड को पूरी तरह से बनाए रखने की वकालत करने वालों के विचार शामिल हैं। जबकि कई अन्य लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रावधान को बनाए रखने लेकिन परिभाषित कानूनी सीमाओं के भीतर इसके कार्यान्वयन को बनाए रखने का आह्वान किया है। कई विधि विशेषज्ञों का तर्क है कि राजद्रोह खंड ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का एक अवशेष है, जिसे मूल रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से निकलने वाली आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए पेश किया गया था। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 124ए , जैसा कि आज हमारे पास है, 1860 में मैकाले के आईपीसी के मूल मसौदे से अनुपस्थित था, और इसे केवल 1870 में पेश किया गया था, जिसे जेम्स स्टीफन द्वारा संचालित किया गया था। यह संस्करण आईपीसी (संशोधन अधिनियम), 1898 के संशोधन के माध्यम से लाया गया और तब से इसने बड़े पैमाने पर अपने स्वरूप को बरकरार रखा है।

भारत के संविधान में हर नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 एक क के तहत प्राप्त है। यह एक मूल अधिकार है। जो भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। और कोई भी व्यक्ति इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इस पर अनुच्छेद 19 दो के तहत कुछ निरबंधन भी लगाए गए है । इस स्वतंत्रता का उपयोग कर कोई भी नागरिक कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं कर सकता है। नागरिकों के राष्ट्र विरोधी कार्य को रोकने के लिए ही राजद्रोह कानून को लागू किया गया था। परंतु इस कानून का प्रयोग हमेशा से ही व्यक्ति की वाक एवं अभियुक्त की स्वतंत्रता को निर्बंधित करने के लिए ही किया जाता रहा, किसी राज्य के प्रति बैर को ही राजद्रोह कहा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने बृज भूषण बनाम दिल्ली राज्य 1950 और रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य , 1950 मामलों में कहा था कि दंड संहिता की धारा 124ए संविधान के प्रविधानों से संगत नहीं है, लेकिन बाद में न्यायालय ने केदार नाथ यादव बनाम बिहार राज्य 1962 मामले में धारा 124ए की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया था।

राजद्रोह की परिभाषा –:

भारतीय दंड संहिता की धारा 124क के अनुसार जो कोई बोले गए लिखे गए शब्दों संकेतों दृश्यरूपण के द्वारा भारत में विधि के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अवमान पैदा करेगा या अप्रीती प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा वह राजद्रोह के अपराध से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 – अभिव्यक्ति ''असंतुष्टता'' में विश्वासघात और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल हैं।

स्पष्टीकरण 2 – घृणा, अवमानना या अप्रसन्नता को उत्तेजित या उत्तेजित करने के प्रयास के बिना, वैध तरीकों से उनके परिवर्तन को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार के

उपायों की अस्वीकृत wp व्यक्त करने वाली टिप्पणियां, इस धारा के तहत अपराध का गठन नहीं करती हैं।

स्पष्टीकरण 3 – उत्तेजना या घृणा, अवमानना या अप्रसन्नता को उत्तेजित करने के प्रयास के बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई की अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां, इस धारा के तहत अपराध का गठन नहीं करती हैं। ''

राजद्रोह के अपराध के लिए दंड–

जो कोई व्यक्ति राजद्रोह का अपराध करेगा वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से या 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने या सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। राजद्रोह अजमानतीय अपराध है। और इसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

राजद्रोह का इतिहास–

भारत में यह कानून बहुत पुराना ना होकर सन 1870 में वहाबी क्रांति के द्वारा सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए सन 1870 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने धारा 124 को आईपीसी के छठवे अध्याय में जोड़ा गया। 19वीं व बीसवीं शताब्दी में ज्यादातर भारतीय राष्ट्र वादियों की आवाज को दबाने के लिए राजद्रोह कानून का प्रयोग किया गया था। भारत में राजद्रोह कानून औपनिवेशिकन काल की देन है। इस कानून का मसौदा वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार लार्ड टी.वी.मैकाले ने तैयार किया था।लेकिन जब 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई उस समय ये कानून दंड संहिता में नहीं था। 1870 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सर जेम्स स्टीफन को इस कानून की आवश्यकता महसूस हुई जिस पर सर स्टीफन ने धारा 124क को भारतीय दंड संहिता के आठवें अध्याय में जोड़ा गया 19वीं और 20वीं शताब्दी में ज्यादातर भारतीय राष्ट्र वादियों की आवाजों को दबाने के लिए राजद्रोह कानून का प्रयोग किया गया था।भारत में पहला मामला सन 1891 में अखबार निकालने वाले संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस का था। सर्वप्रथम 1870 में जब यह कानून लाया गया था तो ब्रिटेन में इस कानून की जमकर आलोचना हुई थी ब्रिटेन में इस कानून का उपयोग वाक वा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए हुआ था सन 1977 में ब्रिटेन के विधि आयोग ने इस कानून को समाप्त करने हेतु सुझाव दिए आज अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने इस कानून को समाप्त कर दिया है।

राजद्रोह क्या है

भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के संबंध में प्रारंभ से ही प्रावधान है दंड संहिता की धारा 124 ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है राजद्रोह का अर्थ विधि के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति या उसकी नीतियों के प्रति या प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ असंतोष की भावना फैलाने की राजद्रोह कहा जाता है। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। की राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर है।देशद्रोह राष्ट्र के प्रति असम्मान की भावना राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध किया गया कोई कार्य या राष्ट्रीय संस्कृति या विरासत को पूर्णतया नकारने को ही देशद्रोह कहा जाता है। अर्थात राष्ट्र के खिलाफ किया गया कोई आचरण ही देशद्रोह है। राजद्रोह शासन के खिलाफ किया गया कोई आचरण या उसकी नीतियों प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ किया गया आचरण राजद्रोह कहलाता है। संविधान के पहले संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा लोक व्यवस्था शब्दावली को राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर निंबधन लगाने वाले एक आधार के रूप में अनुच्छेद 19 (2) में शामिल किया गया, लेकिन संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने किशोरी मोहन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1972 मामले में लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के बीच अंतर की व्याख्या की है। न्यायालय के अनुसार ऐसा कुछ भी जो लोक शांति और लोक शांत चित्तता को भंग करता है वह लोक व्यवस्था को भंग करता है, लेकिन महज सरकार की आलोचना से लोक व्यवस्था भंग नहीं होती। दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा के अर्थ में राज्य को अपदस्थ करने के इरादे से किए गए हिंसा के अपराधों, सरकार के खिलाफ युद्ध और विद्रोह या बाहरी आक्रमण या युद्ध से राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से दिए गए सभी बयान शामिल हैं। ऐसी व्याख्या से यह स्पष्ट है कि सरकारी कार्यो, नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना पर रोक लगाने के उद्देश्य से असहमति पर अंकुश लगाने या वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह के कानून को लागू करना संवैधानिक जनादेश के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।

राजद्रोह कानून चर्चा में क्यों –

भारत में सरकार के द्वारा समय–समय पर उसके खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से विधि के द्वारा स्थापित सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज

कर उनकी आवाजों को दबाने का बहुत से मामले सामने आए हैं जिस पर समय समय में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के द्वारा सरकार के मनमाने कृत्यों को रोकने के लिए राजद्रोह कानून की समीक्षा करने के लिए बहुत जोर दिया है हाल ही में भारत में ऐसे बहुत से मामले है। जिनमे सरकार के नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने वालों के ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस पिछले कुछ समय से फिर से शुरू हो गई जब सुप्रीम कोर्ट की तीन–न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 31 मई, 2021 को मेसर्स आमोदा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य अ. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (डब्ल्यूपी (सीआर) संख्या 217 (2021) के मामले में कहा की ''राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करने की आवश्यकता है''। मामले में शीर्ष अदालत की दो–न्यायाधीशों की खंडपीठ ने देशद्रोह के अपराध के लिए याचिकाकर्ता, पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) को रद्द कर दिया। अपने फैसले में, अदालत ने एक अवलोकन किया कि प्रत्येक पत्रकार को केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (एआईआर 1962) के मामले में अदालत के ऐतिहासिक फैसले में प्रतिपादित अपराध की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए देशद्रोह के आरोप से संरक्षित किया जाएगा ।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इन कानूनों की फिर से जांच करने की आवश्यकता है, इसलिए भारतीय अदालतों द्वारा न्यायशास्त्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने देशद्रोह के कानून की वर्तमान अवधारणा में योगदान दिया है।

हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी 2021 को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजद्रोह के लेकर बहुत हल्ला हुआ इस मामले में बहुत से किसानों पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए इसके पहले नागरिकता कानून के विरोध में भी अपनी आवाजें उठाने वालों के खिलाफ भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए अभी टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी की गई जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।

भारत में राजद्रोह के सर्वाधिक मामले –

तमिलनाडु के एक गाँव के लगभग 8856 निवासी जो 2010–11 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध कर रहे थे उन पर और 2012 में सरकार को चिढ़ाने वाले रेखाचित्रों के लिए राजनीतिक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए।

सन 2017 में झारखंड में नक्सल समर्थित 10000 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया हालांकि 2019 में वो केस वापस ले लिए गए। हाल ही में किसान आंदोलन में, हाथरस प्रकरण में, नागरिकता कानून के विरोध में, पुलवामा हमले का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ भी सरकार के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार , IPC की धारा 124। के तहत दर्ज मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ऐसे मामलों में 2016 और 2019 के बीच 160: की वृद्धि हुई है, जबकि ऐसे अपराधों के लिए दोष सिद्धि दर में गिरावट आई है। इसी अवधि के लिए 33.3: से 3.3: तक। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राज्य निराधार या तुच्छ मामले दर्ज करने के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है। इस तरह के कानून के दुरुपयोग से नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित होना तय है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2019 के बीच पूरे भारत में देशद्रोह के कुल 326 मामले दर्ज किए गए।दर्ज किए गए देशद्रोह के मामलों की संख्या 2016 में 25, 2017 में 51, 2018 में 70 और 2019 में 93 थी। 2014–19 की अवधि में दर्ज किए गए 326 मामलों में से सिर्फ छह में सजा हुई।भारत के दो तिहाई मामले बिहार कर्नाटक झारखंड उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में है।

राजद्रोह के कुछ प्रमुख चर्चित मामले –

भारत में इस कानून से संबंधित प्रमुख मामले निम्नलिखित है।

1. महारानी बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस और अन्य , (1892) ILR 19 Cal 35 के मामले में दर्ज किया गया था, जिसमें एक बंगाली पत्रिका के संपादकों पर आरोप लगाया गया था। उनके अखबार छापने के खिलाफ पहला राजद्रोह का केस आया था उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखा था इस आधार पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया

2. महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक और केशव महादेव बल , (1897) ILR 22 बॉम्बे 112 के मामले में भारत की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक बाल गंगाधर तिलक पर दो बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। सर्वप्रथम वर्ष 1897 में जब उनके एक भाषण ने कथित तौर पर अन्य लोगों को हिंसक व्यवहार के लिए उकसाया और जिसके

परिणामस्वरूप दो ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हो गई। इसके बाद वर्ष 1909 में जब उन्होंने अपने अखबार केसरी में एक सरकार विरोधी लेख लिखा।

3. महात्मा गांधी का मामला वर्ष 1922 के मामले में महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा यंग इंडिया पत्रिका पर सरकार विरोधी लेख लिखने के लिए चलाया गया था।

4. केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 AIR 955 यह मामला स्वतंत्र भारत की किसी अदालत में राजद्रोह का पहला मुकदमा था। इस मामले में पहली बार देश में राजद्रोह के कानून कीसंवैधानिकता को चुनौती दी गई और मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने देश और देश की सरकार के मध्य के अंतर को भी स्पष्ट किया। बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदार नाथ सिंह पर तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान करने हेतु भाषण देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के तहत नहीं गिना जाएगा।

5. असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012 विवादास्पद राजनीतिक कार्टूनिस्ट और कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी वर्ष 2010 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके कई सहयोगियों का मानना था कि असीम त्रिवेदी पर राजद्रोह का आरोप भ्रष्टाचार–विरोधी अभियान के कारण ही लगाया गया है।

6. विनोद दुआ, दिशा रवि समेत कई पर राजद्रोह का आरोप लग चुका है, राजद्रोह कानून क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि, डॉ. कफील खान से लेकर शफूरा जरगर तक ऐसे कई लोग हैं जिन्हें राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

भारत के विधि आयोग का दृष्टिकोण क्या है?

- अगस्त 2018 में, भारत के विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 124। पर फिर से विचार करने का समय है।

- विधि आयोग ने अपनी 39वीं रिपोर्ट (1968) में इस धारा को निरस्त करने के विचार को खारिज कर दिया था।

- अपनी 42वीं रिपोर्ट (1971) में, पैनल चाहता था कि कानून द्वारा स्थापित सरकार के अलावा संविधान, विधायिका और न्यायपालिका को कवर करने के लिए अनुभाग का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

- राजद्रोह पर हाल ही के परामर्श पत्र में, विधि आयोग ने 124। को लागू करने का सुझाव दिया है, जो केवल सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने या सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के इरादे से किए गए कृत्यों को अपराधी बनाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजद्रोह के कानून –

- भारत का राजद्रोह के जैसा ही कानून कानून जैसा ही कानून अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरब मलेशिया सूडान से निकल ईरान तुर्की उज्बेकिस्तान में भी लागू है लेकिन वहां के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी व्यापक है कि कानून के तहत दर्ज मुकदमे नगण्य होते हैं यहां तक कि आस्ट्रेलिया में सिर्फ जुर्माने तक का ही प्रावधान है ।

- यूनाइटेड किंगडम ने कोरोनर्स एंड जस्टिस एक्ट, 2009 के माध्यम से देशद्रोही परिवाद को हटा दिया।

- ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियाई कानून सुधार आयोग (ALRC) की सिफारिशों के बाद, राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया और इसे 'हिंसा के अपराधों का आग्रह' के संदर्भ में बदल दिया गया।

राजद्रोह कानून का उपयोग और दुरुपयोग –

एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच 191 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 43 मामलों में ट्रायल पूरा हो गया। अभियोजन पक्ष केवल चार मामलों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में सफल रहा। 2016 में, सबूतों की कमी के लिए पुलिस द्वारा छह राजद्रोह के मामले हटा दिए गए थे और दो को अंतिम रिपोर्ट में झूठे मामले करार दिया गया था।इसके बावजूद धारा के तहत मामला दर्ज करने में कोई झिझक नहीं रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2015 और 2018 के बीच देशद्रोह के मामलों की संख्या लगभग दोगुनी वृद्धि दर्ज की गई।देशद्रोह के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करना यह दर्शाता है कि पुलिस द्वारा कानून को ढीले तरीके के साथ इस्तेमाल करना कितना विश्वासघाती होगा। और फिर भी, आधुनिक स्वतंत्र भारत में,

संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता के साथ, इस कानून का व्यापक रूप से उपयोग और दुरुपयोग किया गया है।

- वर्ष 2016 महत्वपूर्ण था उस वर्ष देशद्रोह के महत्वपूर्ण मामलों की अधिकता थी। कुछ मामले, स्पष्ट रूप से अत्याचारी हैं, और निजी व्यक्तियों द्वारा दायर किए जाते हैं, जिनके पास स्पष्ट रूप से कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ इसलिए कि कन्नड़ अभिनेत्री राम्या ने 2016 में कहा था कि पाकिस्तानी मेहमाननवाज लोग थे, वास्तव में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की एक टिप्पणी के जवाब में कि पाकिस्तान जाना नरक में जाने जैसा था, एक वकील ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया ।

- फरवरी 2016 में, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार नाम के एक युवक के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कुमार और दो अन्य को कथित तौर पर स्वतंत्रता की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कुमार के भाषण की विषयवस्तु पर काफी चर्चा हुई। उन्होंने खुद कहा था, और दूसरों ने तर्क दिया है कि मांगें भारत से आजादी के लिए नहीं थीं, बल्कि गरीबी और सामाजिक बुराइयों से आजादी के लिए थीं। कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत पर रिहा कर दिया गया। निचली अदालत में सुनवाई के समय पटियाला हाउस में वकीलों के वेश में कुछ गुंडों ने कुमार, उनके कुछ समर्थकों और यहां तक कि मौजूद मीडिया के एक वर्ग के साथ मारपीट की.

- सितंबर 2016 में, एक जनहित याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के अर्थ पर विस्तार से बताया। अदालत ने केदार नाथ मामले पर फिर से जोर दिया: ''एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से सरकार या उसके उपायों के बारे में जो कुछ भी पसंद करता है उसे कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को हिंसा के लिए उकसाता नहीं है। कानून द्वारा या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से स्थापित सरकार।''

- देशद्रोह की एक निजी शिकायत पर, उत्तरी कर्नाटक के बीदर के एक स्कूल के छोटे बच्चों से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ एक नाटक करने के लिए 2020 में पुलिस ने पूछताछ की , और एक विधवा माता–पिता को काफी समय के लिए जेल भेज दिया गया। एक निजी व्यक्ति आमतौर पर राजद्रोह की बारीकियों को क्या समझेगा? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ऐसी शिकायतों को अभियोजन के लिए अयोग्य मानकर तुरंत क्यों नहीं छोड़ देती?

- राजद्रोह के कुछ मामलों में तो पुलिस ने तीन महीने के भीतर चार्जशीट भी दाखिल नहीं की, जिससे आरोपी को जमानत मिल गई. कानून का प्रयोग कितना धूर्त, कितना कपटपूर्ण है, कि पुलिस को राज्य के खिलाफ देशद्रोह के एक मामले की निगरानी की भी परवाह नहीं है!

- 2021 में, बैंगलोर की एक कॉलेज छात्रा और एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता दिशा रवि को राजद्रोह के आरोप में राजधानी से पुलिस द्वारा उनके घर से ''अपहृत'' करके दिल्ली ले जाया गया। उनके खिलाफ बस इतना ही था कि उन्होंने किसानों के विरोध के बारे में एक ''टूलकिट'' का प्रसार किया था। अप्रत्याशित सोशल मीडिया विरोध का पालन किया, और एक हफ्ते से अधिक समय के बाद, रवि को जमानत दे दी गई । किसानों के आंदोलन का शांतिपूर्ण समर्थन देशद्रोह कैसे हो सकता है?

- देशद्रोह के आरोपित व्यक्तियों को अपने पासपोर्ट के बिना रहना पड़ता है, उन्हें सरकारी नौकरियों से रोक दिया जाता है और जब भी आवश्यकता होती है, उन्हें हर समय अदालत में खुद को पेश करना होगा – यदि उन्हें जमानत मिल गई है, अर्थात। आरोपी के लिए कानूनी लागत, इसमें लगने वाला समय, प्रयास और तनाव बहुत अधिक है। ज्यादातर मामलों में आरोप शायद ही कभी अटके हों, लेकिन प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। एक कानूनी व्यवस्था से लड़ना कितना मुश्किल है, भले ही व्यवस्था पक्षपाती न हो। और अगर है तो?

निष्कर्ष –:

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है । व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उदार लोकतंत्र की पहचान है। और उनका घोर दुरुपयोग भारतीय संविधान में निहित इन स्वतंत्रताओं की नींव पर हमला करता है। समय की मांग है कि न्यायपालिका इस कठोर कानून की समीक्षा करे। भले ही इस कानून को खत्म करना संभव न हो, लेकिन इसे कम करना और इसके अंधाधुंध उपयोग को सीमित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करना निश्चित रूप से देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अलावा भारत की लोकतांत्रिक स्थिति में मदद कर सकता है।

देशद्रोह कानून का सरकारों द्वारा बढ़ता दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय है। जो अभिव्यक्ति या विचार जो उस समय की सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है, उसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। विधि आयोग ने ठीक ही कहा है, ''स्थिति पर निराशा की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं माना जा सकता''। यदि देश सकारात्मक आलोचना के लिए खुला नहीं है, तो स्वतंत्रता पूर्व और बाद के युगों में कोई अंतर नहीं होगा।

बेशक, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है। कानूनी राय और कानून के पक्ष में सरकार के विचारों को देखते हुए, यह संभावना नहीं है कि धारा 124 ए को जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि, मुक्त भाषण को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में धारा का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत ने राज्य की नीतियों के खिलाफ बोलने वालों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए कई कानूनों का इस्तेमाल किया है। शायद सबसे महत्वपूर्ण आज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) हैं, जो दोनों ''हम बनाम उनके'' के विभाजन के मूल तर्क का उपयोग करते हैं। लेकिन S124A का औपनिवेशिक प्रावधान शायद सबसे खराब है – यह एक बेईमान पुलिसकर्मी की कलम से एफआईआर में एक वफादार भारतीय को राष्ट्र–विरोधी बना सकता है। यह एक ऐसा कानून है जिसे मैकाले खुद अपने आईपीसी में नहीं चाहते थे। समय आ गया है कि स्वतंत्र भारत में यह कानून अब लागू ना हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. पाण्डेय जे. एन.,भारत का संविधान
2. बाबेल बसंती लाल,भारतीय दंड संहिता
3. मिश्र सूर्य नारायण,भारतीय दंड संहिता
4. चतुर्वेदी मुरलीधर भारतीय दंड संहिता
5. गूगल
6. विकिपीडिया
7. न्यूज पेपर द वायर
8. न्यूज पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया
9. न्यूज पेपर द हिंदू
10. वेबसाइट लाइव लॉ